

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/24/ 381

दिनांक: 27/12/2024

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद् श्रीगंगानगर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र. सं.	जिला	नगरपरिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत./राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
1	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	ग्राम पंचायत 3 E chhoti का राजस्व ग्राम 3 E chhoti ग्राम पंचायत 5 E chhoti का राजस्व ग्राम 5 E chhoti, 6 E chhoti, 1 A, ग्राम पंचायत 4 ML का राजस्व ग्राम 7 E chhoti, ग्राम पंचायत sahuwala का राजस्व ग्राम 3 A chhoti, ग्राम पंचायत 2 ML का राजस्व ग्राम 2E Chhoti, 4 E Chhoti, 2 ML Nathawali, ग्राम पंचायत 4Z का राजस्व ग्राम 5Z, 1E Chhoti, 1B Chhoti सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र जनसंख्या 21,560+

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


  
(कुमार पाल गौतम)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/24/382-420 दिनांक: 27/12/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/ उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त बीकानेर ।
10. जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को भेजकर निवेदन है कि नगर परिषद श्रीगंगानगर की सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत सीमा/राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर राजस्थान।
15. आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर (ग्राम पंचायत सीमा/राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अनुसार कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचना से शीघ्र भिजवाये)
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत .....श्रीगंगानगर।
18. सुरक्षित पत्रावली।

  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव